सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 99 राँची, मंगलवार, 5 फरवरी, 2019 (ई०)

**कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग**

**(पशुपालन प्रभाग)**

---

**अधिसूचना**

**13 सितम्बर, 2017**

**संख्या- 1 स्था०/05/निदेशक ग० वि० नियुक्ति/05/2016--** डा० कृष्ण मुरारी सहायक प्राध्यापक-सह-कनीय वैज्ञानिक, संजय गाँधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना-800014 (बिहार) को झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में निदेशक, गव्य विकास, झारखण्ड के एकल पद पर झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत निदेशक, गव्य विकास, झारखण्ड के लिए भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली, 2011 में निहित उपबंधों के अधीन नियुक्त किया जाता है।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-2760 दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 द्वारा निदेशक, गव्य विकास, झारखण्ड के पद पर नियुक्ति हेतु डाँ कृष्ण मुरारी, सहायक प्राध्यापक-सह-कनीय वैज्ञानिक, संजय गाँधी, गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना-800014 (बिहार) के नाम की अनुशंसा की गई है।

2. यह नियुक्ति डाँ० मुरारी के पदभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगी।

3. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-660/वि० दिनांक 28 फ़रवरी, 2009 के अनुसार इन्हें PB-IV 37400-67000/- ग्रेड वेतन 8700/- (सप्तम पुनरीक्षित वेतन संरचना- matrix Level-13 118500/- के अनुसार) एवं तदनुसार अन्य भत्ते एवं सुविधायें अनुमान्य होगी। वेतन, भत्ते, छुट्टी एवं अन्य वैसे

सभी विषय, जो निदेशक, गव्य विकास, झारखण्ड के लिए भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली, 2011 में स्पष्ट रूप से उपबंधित नहीं है, राज्य सरकार के अधीन प्रयुक्त संगत नियमों और विनियमों से विनियमित किए जाएँगे।

4. निदेशक, गव्य विकास, झारखण्ड, राँची के पद पर डॉ० मुरारी के पदस्थापन की अवधि 5 (पाँच) वर्षों की होगी, जो राज्य सरकार की सेवाओं के लिए विहित वार्धक्य सेवानिवृति तक सीमित रहेगा। सेवा असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में निर्धारित नियोजन अवधि के पूर्व राज्य सरकार इन्हें पद से हटा सकेगी।

इनकी शैक्षणिक योग्यता की जाँच ICAR से करायी जायेगी तथा जाँच प्रतिवेदन निदेशक, गव्य विकास, झारखण्ड के पद पर नियुक्ति हेतु गठित नियमावली, 2011 में निहित शैक्षणिक योग्यता के प्रतिकूल पाये जाने पर इनकी नियुक्ति बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी तथा इनके विरूद्व विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

5. डॉ० मुरारी कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड राँची के प्रधान सचिव/सचिव के नियंत्रणाधीन रहेंगे तथा निदेशक, गव्य विकास, झारखण्ड के दायित्वों के अतिरिक्त प्रधान सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त दायित्वों का ससमय निर्वहन सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**मदन मोहन झा,**
सरकार के अवर सचिव

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 99 -- 50